# 01-03-2023

## जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126

### समाचार पत्रों में क्यों?

हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर से मेघालय के उपमुख्यमंत्री पर एक वीडियो पोस्ट को हटाने के लिए कहा गया।

### त्वरित मुद्दा?

- इस वीडियो की सामग्री जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126 के लिंक का उल्लंघन कर रही थी।

### ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 किसी क्षेत्र के मतदाताओं में मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान, टेलीविजन या इसी तरह के उपकरण या किसी अन्य माध्यम से किसी भी चुनावी मामले को चित्रित करने पर रोक लगाती है।
- धारा 126 (1) के अनुसार मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान -
- धारा 126(1)(ए) - कोई भी व्यक्ति किसी चुनाव के संबंध में किसी सार्वजनिक सभा या प्रदर्शन को आयोजित करेगा, उपस्थित होगा या संदेश नहीं देगा।
- स्ट्रीम 126(1)(बी) - कोई भी सिनेमैटोग्राफ, टेलीविजन या इसी तरह के अन्य माध्यमों से जनता को कोई चुनावी सामग्री प्रदर्शित नहीं करेगा।
- धारा 126(1)(सी) - कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदान क्षेत्र में जनता के लिए किसी भी चुनाव के मामले का प्रचार नहीं करेगा।
- धारा 126(2) के अनुसार –जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126(1) के अधिकार का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

### अन्य प्रमुख तथ्य?

**जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951**

- चुनावों का वास्तविक आयोजन कराने संबंधी सभी मामले जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के प्रावधानों के तहत आते हैं। इस कानून की धारा 169 के तहत निर्वाचन आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार ने निर्वाचक पंजीकरण नियम 1961 बनाए हैं। इस कानून और नियमों में सभी चरणों में चुनाव आयोजित कराने, चुनाव कराने की अधिसूचना के मुद्दे, नामांकन पत्र दाखिल करने, नामांकन पत्रों की जाँच, उम्मीदवार द्वारा नाम वापस लेना, चुनाव कराना, मतगणना और घोषित परिणाम के आधार पर सदनों के गठन के लिये विस्तृत प्रावधान किए गए हैं।

- संविधान के तहत भारत में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है जिसके अनुच्छेद 324 में मतदाता सूची तैयार करने और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति , संसद और हर राज्य के लिये राज्य विधायिकाओं हेतु चुनाव कराने के

पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण निहित हैं। संसद और राज्य विधायिकाओं के चुनाव दो कानूनों के प्रावधानों के तहत संपन्न होते हैं- जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951।

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126A पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, जिसमें एक्जिट पोल दर्शाने और प्रथम चरण में मतदान शुरू होने तथा अंतिम चरण में मतदान समाप्त होने के बाद आधे घंटे तक की निर्धारित अवधि के दौरान सभी राज्यों में चुनावों के मौजूदा दौर के संदर्भ में उनके परिणामों को प्रचारित करने पर रोक लगाई गई है।

# बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023

## समाचार पत्रों में क्यों?

हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (आईपी) सूचकांक के मामले में भारत दुनिया की 55 प्रमुख Patents अर्थव्यवस्थाओं में से 42वें स्थान पर है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है, उसके बाद यूके और फ्रांस हैं।

## त्वरित मुद्दा?

- अमेरिकी उद्योग मंडल 'यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स' के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर की तरफ से शुक्रवार को जारी वार्षिक रिपोर्ट में भारत की बौद्धिक संपदा-आधारित नवाचार गतिविधियों की प्रशंसा की गई है। इस रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को आधार बनाते हुए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति को दर्शाया गया है।

## ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- भारत का आकार और आर्थिक रसूख वैश्विक पटल पर बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में भारत आईपी-प्रेरित नवाचारों की मदद से अपनी अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने की मंशा रखने वाली उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अग्रणी देश बन सकता है।
- इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने कॉपीराइट अधिकारों के उल्लंघन पर गतिशील निषेधात्मक आदेश जारी कर कॉपीराइट की नकल रोकने के सशक्त प्रयास किए हैं। इसके अलावा आईपी-आधारित कर रियायतें देकर और नकली उत्पादों के बारे में जागरूकता फैलाकर भी भारत ने इस दिशा में उल्लेखनीय काम किया है।

## अन्य प्रमुख तथ्य?

### बौद्धिक संपदा क्या है?

- यह व्यक्ति की वैचारिक रचनाओं को संदर्भित करता है, जैसे कि आविष्कार; साहित्यिक और कलात्मक कार्य; डिजाइन; और वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक, नाम और चित्र।
- बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) एक निश्चित अवधि के लिए अपने आविष्कार या निर्माण की रक्षा के लिए आविष्कारक या निर्माता को दिए गए कानूनी अधिकारों को संदर्भित करता है।
- पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आदि जैसे कई प्रकार के बौद्धिक संपदा संरक्षण हैं।

- इस रिपोर्ट में भारत के बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड को 2021 में भंग किए जाने और न्यायपालिका पर बढ़ते मामलों के बोझ को चिंता का मुद्दा बताते हुए कहा गया है कि इससे बौद्धिक संपदा अधिकारों को लागू करने की क्षमता प्रभावित होती है।

- अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत 43 वें स्थान पर था।
- इस रिपोर्ट के अंतर्गत वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में पेटेंट और कॉपीराइट नीतियों से लेकर बौद्धिक संपदा परिसंपत्तियों के व्यवसायीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसमर्थन पर बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्यांकन किया जाता है।
- यह सूचकांक 50 वैश्विक संकेतकों में 55 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में आईपी अधिकारों का मूल्यांकन करता है।
- यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स:-यह विश्व का सबसे बड़ा व्यापार संघ है जो राज्य एवं स्थानीय कक्षों व उद्योग संघों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। इस समूह की स्थापना अप्रैल 1912 में राष्ट्रपति विलियम हॉवर्ड टैफ्ट और उनके वाणिज्य एवं श्रम सचिव 'चार्ल्स नागेल' के आग्रह पर स्थानीय वाणिज्य मंडलों के माध्यम से की गई थी।
- बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए भारत के प्रयास-
  1. भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970
  2. राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति 2016
  3. भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) का भी सदस्य है।

## परख

### समाचार पत्रों में क्यों?

समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और विश्लेषण (परख- परफार्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस आफ नालेज फार हालिस्टिक डेवलपमेंट) देश में सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानदंड मानक और दिशानिर्देश स्थापित करने पर काम करेगा।

### त्वरित मुद्दा?

- भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख देशभर के पांच दर्जन से अधिक शिक्षा बोर्डों द्वारा किए

जा रहे मूल्यांकन में एकरूपता लाएगा। यह कहना है एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस (ईटीएस) के सीईओ अमित सेवक का।

## ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- NCERT ने भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक, PARAKH (प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा एवं समग्र विकास के लिये ज्ञान का विश्लेषण) अधिसूचित किया है।
- NCERT के एक भाग के रूप में परख को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) - 2020 के कार्यान्वयन के भाग के रूप में लॉन्च किया गया है।
- परख शिक्षा मंत्रालय से संबद्ध एक स्वतंत्र संगठन होगा और तीन प्रमुख मूल्यांकन क्षेत्रों -व्यापक मूल्यांकन, स्कूल-आधारित मूल्यांकन तथा परीक्षा सुधार पर कार्य करेगा।
- परख देश में सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशानिर्देश स्थापित करने पर काम करेगा।
- छात्रों के आकलन के लिए लगातार नए तरीके: इसमें योगात्मक परीक्षण और छात्रों के आकलन के लिए लगातार नए तरीके शामिल हैं।
- भौगोलिक अंतर और कई भाषाओं के कारण भारत में स्कूली शिक्षा में विविधता पर परख 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 62 बोर्डों में मूल्यांकन में एकरूपता लाएगा।
- इसका उद्देश्य शिक्षा के लिये समावेशी, भागीदारी और समग्र दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करना है, जो क्षेत्र के अनुभवों, अनुभवजन्य अनुसंधान, हितधारक प्रतिक्रिया के साथ-साथ सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखे गए अनुभवों को ध्यान में रखना है।

# न्यूज़ फटाफट

## बिस्फेनॉल ए

- बिस्फेनॉल ए (BPA) एक रसायन है जो प्लास्टिक और रेजिन के निर्माण के लिये अन्य रसायनों के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है। यह फिनोल और एसीटोन के संघनन द्वारा निर्मित होता है।
- बिस्फेनॉल-ए आधारित प्लास्टिक पारदर्शी व दृढ़ होती हैं। इसका उपयोग पेय कंटेनर, कॉम्पैक्ट डिस्क, प्लास्टिक डिनरवेयर, प्रभाव प्रतिरोधी सुरक्षा उपकरण, ऑटोमोबाइल पार्ट्स तथा खिलौने आदि के निर्माण में किया जाता है।
- बी.पी.ए. हार्मोनल संतुलन को विकृत कर एस्ट्रोजेन संबंधित रिसेप्टर्स (ERR) के साथ बंधन के माध्यम से एस्ट्रोजेनिक प्रभावों को प्रेरित करके हार्मोनल स्तर पर कार्य करता है। यह मनुष्य व जानवरों में वेक्टर जनित रोगों के प्रसार के लिये अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है।

## यूनिइंग अर्न उत्सव

- यूनिइंग अरन उत्सव अरुणाचल प्रदेश के आदि समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है।
- यह आदि 'नववर्ष' का पहला पर्व है जो समुदाय के सभी सदस्यों को एकजुट करता है और वे सभी लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं।

- इसमें सभी परिवार के पुरुष सदस्यों का शिकार हो जाता है और एक सप्ताह के लिए व्यवसाय में रहने की परंपरा है।
- यह परंपरागत रूप से पुरुषों द्वारा गाए जाने वाले 'बदले' गाने और गांवों में युवा लड़कों और लड़कियों द्वारा जाने वाले 'याकजोंग' नृत्य के साथ मनाया जाता है।

## बोरथेकेरा

- बोरथेकेरा असम में पाया जाने वाला एक औषधीय फल है। इसका वैज्ञानिक नाम गार्सिनिया पेडुनकुलाटा है।
- असम में इसके सूखे टुकड़ों का उपयोग मछली की करी जैसे व्यंजन तैयार करने के साथ-साथ उदर विकारों के घरेलू उपचार के रूप में में भी इसका उपयोग किया जाता है।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान के अनुसार यह फल कार्डियक हाइपरट्रॉफी इंडीकेटर, ऑक्सीडेटिव तनाव एवं हृदय की सूजन को कम करता है।
- यह एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंथेलमिंटिक, जीवाणुरोधी, एंटीफंगल, एंटीडायबिटिक, हाइपोलिपिडेमिक, नेफ्रोप्रोटेक्टिव और न्यूरोप्रोटेक्टिव गतिविधि जैसे चिकित्सीय गुणों के लिये जाना जाता है।

## पायलट व्हेल

- पायलट व्हेल वस्तुतः डॉल्फ़िन परिवार के सबसे बड़े सदस्यों में से एक हैं जिसे ब्लैकफिश या पोथेड व्हेल भी कहा जाता है। यह ग्लोबिसफला (Globicephala) जीनस से संबंधित सीतासियन हैं। इसे समुद्री स्तनपायी संरक्षण विनियम 1992 के तहत संरक्षित किया गया है।
- उन्हें पायलट व्हेल नाम इसलिये दिया गया है क्योंकि ये सामाजिक समूह (Pod) में एक 'पायलट' का अनुसरण करती हैं। इनकी प्रमुख विशेषता गोल उभरा हुआ माथा, छोटी चोंच जैसी थूथन तथा पतले नुकीले फ्लिपर्स हैं।
- विश्व भर में अनुमानतः 1 मिलियन लंबी पक्षयुक्त तथा लगभग 200,000 छोटी पक्षयुक्त पायलट व्हेल शेष हैं। पायलट व्हेल का शिकार उनके मांस, हड्डी, तेल और उर्वरक के लिये किया जाता है।

## वन रैंक-वन पेंशन

- सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के बाद रक्षा मंत्रालय ने रक्षा लेखा महानियंत्रक (Controller General Defence Accounts- CGDA) को वन रैंक-वन पेंशन (OROP) की संपूर्ण बकाया राशि एक ही किश्त में जारी करने का निर्देश दिया।
- OROP का अर्थ सैन्य अधिकारियों को समान रैंक हेतु समान सेवा अवधि के लिये समान पेंशन का भुगतान करना है, भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि कुछ भी हो।
- OROP से पहले पूर्व सैनिकों को सेवानिवृत्ति के समय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशन मिलती थी। उत्तर प्रदेश और पंजाब में OROP लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक है।
- योजना का क्रियान्वयन भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता में गठित कोश्यारी समिति की संस्तुति पर आधारित था।

## मार्कोनी प्राइज़

- हाल ही में कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को मार्कोनी प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया। डॉ. बालाकृष्णन को वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग एवं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में बुनियादी योगदान हेतु प्रदान किया गया है।
- मार्कोनी प्राइज़ कंप्यूटर वैज्ञानिकों हेतु एक शीर्ष सम्मान है और इसे अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है।
- यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने उन्नत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से डिजिटल समावेशिता बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
- पुरस्कार विजेताओं को एक स्वतंत्र चयन समिति द्वारा चुना जाता है तथा मार्कोनी सोसाइटी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

## ई-श्रम पोर्टल

- ई-श्रम पोर्टल को देश के असंगठित/प्रवासी श्रमिकों के मामले में अभूतपूर्व सफलता मिली है और 24 फरवरी, 2023 तक 28.60 करोड़ से अधिक श्रमिकों ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। असंगठित/प्रवासी श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने तथा उन्हें एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) प्रदान करने के लिये श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 में ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था।
- ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं के लाभों का विस्तार करना है तथा उन श्रमिकों की पहचान करना है जो जागरूकता की कमी या अन्य किसी कारण से कल्याणकारी योजनाओं के विभिन्न लाभों से वंचित हैं।
- इस उद्देश्य से श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) से उपलब्ध राशन कार्ड डेटा के साथ ई-श्रम लाभार्थियों के डेटा का मिलान शुरू किया है।
- यह पहल सुनिश्चित करेगी कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी पात्र श्रमिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राशन कार्ड का लाभ उपलब्ध कराया जाता है।